न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/113/2016

उनवान

1. मेघसिंह पिता खिमसिंह रावत निवासी बडाछ, पटवार हल्का रतनपुरा
2. हजारी सिंह पिता खिमसिंह रावत निवासी बडाछ, पटवार हल्का रतनपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बदनोर, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के प्रकरण संख्या 196/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7..2015

अधिवक्तागण :–

1. श्री मुनीर गनी, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 21.10.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण /वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के पिता को मिसल नम्बर 39/85 दिनांक 10.4.85 को मौजा बडाछ की आराजी नम्बर 645/1 बडे रकबे में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ और मौके पर पटवार हल्का ने भूमि आवंटन आदेश अनुसार नाप कर सिपुर्द कर दी । जिस पर आवंटी के बाद आवंटी के पुत्रों का लगातार आज तक कब्जा चला आ रहा है। आवंटी की मृत्यु हो गई और गैर खातेदार खीमसिंह पुत्र दुर्गा सिंह के खाते की भूमि पर वादीगण काबिज है। खाता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या 239 संवत 2042 से गैर खातेदार दर्ज किया गया । भू प्रबन्ध विभाग ने राजस्व रेकार्ड एवं मौके की स्थिति एवं कब्जे के अनुसार कार्यवाही न कर अपने अधिकारों से परे जाकर बिना किसी न्यायालय के आदेश के रेकार्ड को रद्दोबदल करक गैर खातेदार की भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज कर दिया । इस बात की जानकारी वादीगण को नहीं थी। क्योंकि लगान भी सरकार ने माफ कर दिया। इससे वादीगण को वादग्रस्त भूमि के बिलानाम दर्ज हो जाने की जानकारी नहीं मिल पाई। हाल राजस्व अभियान में वादीगण अपने पिता की विरासत खुलवाने पटवार हल्का कैम्प पर गये तो रेकार्ड से पता चला कि खाता बिलानाम सरकार दर्ज हो गया । मृतक खातेदार ने काफी राशि लगाकर भूमि को काबिल काश्त बनाया करीबन 50,000/—रूपये लगाकर चारों तरफ पत्थरों का कोट लगाकर मिट्टी भरवाकर वादग्रस्त भूमि को काबिलकाश्त बनाया और पीढी दर पीढी काश्त करते चले आ रहे हैं।

2. वादीगण ने अपने कब्जे व पूर्व गैर खातेदारी का रिकार्ड निकलवाया जिससे पता चला कि खाता संख्या 01 मौजा बडाछ में आराजी नम्बर 1557 रकबा 0.35 है0, आराजी नम्बर 1563/1828 रकबा 0.20 है0, व 1569/1828 रकबा 0.30 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 0.85 है0, संवत 2064 से 2067 की जमाबंदी में उक्त रकबा बिलानाम काबिज काश्त दर्ज कर दिया । जो साबिक खसरा नम्बर 645/1 मीन के नम्बर मिलान क्षेत्रफल अनुसार कायम हुए थे। वादीगण को प्रतिवादी ने दिनांक 15.5.2011 को यह कहा कि वे अपने पिता की गैर खातेदारी की भूमि को अपने नाम कराने के लिए इन्द्राज दुरूस्ती व खातेदारी घोषणा का वाद न्यायालय में प्रस्तुत कर हक हासिल करे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी वाद पत्र की चरण संख्या 3 के आराजी नम्बर 1557 रकबा 0.35 है0, आराजी नम्बर 1563 / 1828 रकबा 0.20 है0, व 1569 / 1828 रकबा 0.30 है0, कुल किता 3 रकबा 0.85 है0 मे से वादीगण के 0.76 है0 (3 बीघा 10 बिस्वा) की इन्द्राज दुरूस्ती के साथ खातेदारी की घोषणा की डिक्री लगान की तसरीक के साथ प्रदान कराई जावे । तथा बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती तरमीम व खातेदारी घोषणा की डिक्री की पालना राजस्व रेकार्ड में कराई जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद विधिक प्रकिया अपनाये तनकियात कायम किये व साक्ष्य लिये बिना ही निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भादसी तहसील बदनोर मुकाम पर वाद बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित कर दिया । अपीलार्थी को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी समय पर नहीं हो पाई । जानकारी होने पर अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया । नकल प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुई विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी का वाद पत्र बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये पारित किया है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण मे प्रतिवादी की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । जिसके उपरान्त प्रकरण वास्ते तनकियात कायमी में लंबित चल रहा था। अपीलार्थीगण/वादीगण को अपनी ओर से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किये गये एवं प्रकरण को सीधे ही कैम्प कोर्ट में नियत कर दिया गया । वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया । जबकि अधिनस्थ न्यायालय को वादी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के उपरान्त उपलब्ध साक्ष्य, रेकार्ड के आधार पर तनकीवाईज निर्णय पारित करना चाहिये था। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट भादसी तहसील बदनोर में रखकर निर्णय पारित कर दिया । अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करना चाहिये था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की पालना नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

9. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपीलार्थी की अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया । साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किया जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन आदेश की फोटो प्रति का अवलोकन किया । जिसके अनुसार अपीलार्थीगण/वादीगण के पिता खिम सिंह पिता दुर्गा सिंह रावत निवासी बडाछ को ग्राम बडाछ की आराजी नम्बर 645/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म मगरी का सशर्त आवंटन किया गया। नामान्तरकरण पंजिका ग्राम बडाछ तहसी आसीन्द में वादग्रस्त आराजी नम्बर 645/1 रकबा रकबा 21 बीघा 06 बिस्वा किस्म मगरी में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन किये जाने का इन्द्राज किया गया है। अपीलार्थी द्वारा ऐसी कोई जमाबंदी प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह साबित होता हो कि अपीलार्थीगण के पिता खिम सिंह रावत को वादग्रस्त आराजियात आवंटन होने के बाद आवंटी खिम सिंह के नाम वादग्रस्त आराजी नम्बर 645/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा को राजस्व रेकार्ड में गैर खातेदारी से दर्ज किया गया हो।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अपीलार्थीगण द्वारा सुपुर्दगीनामा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे इस तथ्य की पुष्टि होती हो कि अपीलार्थीगण के पिता को वादग्रस्त आवंटित भूमि का कब्जा सिपुर्द किया गया हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार खीम सिंह पुत्र दुर्गा सिंह की मृत्यु दिनांक 10.4.1985 को होना प्रकट होता है। जबकि खिमसिंह को ग्राम बडाछ की वादग्रस्त आराजी का आवंटन भी दिनांक 10.4.1985 को ही किया गया है। ऐसी स्थिति में आवंटी को आवंटित आराजी नम्बर 645 /1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का न तो कब्जा सिपुर्द किया गया एवं न ही आवंटी को राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में गैर खातेदार ही अंकित किया गया है। चूंकि आवंटी की मृत्यु आवंटन की दिनांक 10.4. 1985 को ही हो चुकी थी।

12. वादग्रस्त आराजी नम्बर 645/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पर आवंटन शर्तो की पालना में काश्त किये जाने से संबंधी अथवा वादग्रस्त आराजियात पर कभी भी आवंटी की मृत्यु के उपरान्त अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में काश्त की गई हो, कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

13. अपीलार्थीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने पर अधिनस्थ न्याायालय में वाद पत्र दिनांक 2.7.2011 को पंजिबद्ध किया गया एंव प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं दिनांक 26.12.2012 को प्रतिवादी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया । उसके उपरान्त प्रकरण साक्ष्य तनकियात कायमी में नियत किया गया । प्रकरण में तनकियात कायम नहीं की गई एवं दिनांक 10.2.2014 की आदेशिका अनुसार कायमी तनकियात आगामी तारीख पेशी 12.5.2014 को नियत किया गया । दिनांक 12.5.2014, 11. 8.2014, 24.11.2014, 23.2.2015, को प्रकरण में न्यायालय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कार्य नहीं होने से आगामी तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 11.3.2015 को प्रकरण को जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश से राजस्व प्रकरणों की सुनवाई का अधिकार उपखण्ड अधिकारी, बदनोर को हो जाने से पत्रावली को मुन्तकिल किया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 1.6. 2015 नियत की गई। दिनांक 1.6.2016 की तारीख पेशी से पूर्व ही दिनांक 1.4.2015 की पेशी पर पत्रावली को नियत किया गया परन्तु दिनांक 1.4.2015 को आदेशिका में कोई आगामी तारीख पेशी नियत नही की गई। उसके उपरान्त प्रकरण को सीधे ही 9.7.2015 को राजस्व लोक अदालत कैम्प भादसी पर रखा जाकर अपीलाधी निर्णय व डिक्री पारित की गई है।

14. प्रकरण को राजस्व लोक अदालत कैम्प भादसी पर रखे जाने से पूर्व वादीगण को सूचना पत्र जारी किया जाकर लोक अदालत कैम्प भादसी में उपस्थित होने हेतु तामील कराया गया है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न सूचना पत्र की पुश्त पर वादी मेघसिंह के हस्ताक्षर है। नियत तारीख पेशी पर वादीगण उपस्थित हुए हैं जिनकी उपस्थिति स्वरूप आदेशिका दिनांक 9.7.2015 पर हस्ताक्षर है। आदेशिका दिनांक 9.7.2015 में अंकित किया गया है " वादीगण उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा शहादत प्रस्तुत नहीं किये जाने से शहादत वादीगण बन्द की गई । पेरोकार सरकार ने पटवारी हल्का के बयान कराये । जिसे शामिल पत्रावली किया गया । पेरोकार सरकार द्वारा शहादत प्रस्तुत नहीं किये जाने से शहादत का अवसर समाप्त किया गया । वादीगण एवं पेरोकार ने बहस करनी चाही । बहस उभयपक्ष सुनी गई। " अधिनस्थ न्यायालय ने इसके उपरान्त पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य, रेकार्ड का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

15. अपीलार्थीगण का यह कथन कि अपीलार्थीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे वे अपीलार्थीगण/वादीगण अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये उचित नहीं है। अपीलार्थीगण यह तथ्य साबित करने में असफल रहे हैं कि अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे वे अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये। अपीलार्थीगण ने न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे वादग्रस्त आराजी नम्बर 645/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा पर आवंटी अथवा अपीलार्थीगण का आवंटन के उपरान्त कब्जाकाश्त रहा हो अथवा उनके द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई हो। अपीलाधीन प्रकरण में चूंकि आवंटित भूमि का कब्जा ही सिपुर्द नहीं किया गया एवं आवंटन की दिनांक 10.4.1985 को ही आवंटी खीम सिंह की मृत्यु हो जाने बाबत भी अप्रमाणित मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पत्रावली में संलग्न है, जो वादी के कथनों की ताईद नहीं करती है। प्रकरण में वादी व अधिवक्ता वादी की उपस्थिति सुनिश्चित कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना स्पष्ट है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि। अपीलार्थीगण द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वादग्रस्त आराजी की गैर खातेदारी प्राप्त होना, अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आवंटित आराजी पर आवंटन शर्तो की पालना में काश्त किया जाना प्रमाणित होता हो। वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर 645/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा के हाल आराजी नम्बर 645/1 के हाल आराजी नम्बर 1557, 1563/1828, 1569/1829 बनना अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न मिलान क्षेत्रफल से प्रमाणित होता है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

2064 से 2067 मे हाल आराजी नम्बर 1557, 1563/1828, 1569/1829 बिलानाम काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड है।

16. पटवारी हल्का रतनपुरा (भा0) श्री सौमित्र दाधीच पिता राधेश्याम दाधीच, ने अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 9.7.2015 को स्वयं उपस्थित होकर अपने बयान लेखबद्ध कराये । जिसमें पटवारी हल्का द्वारा कथन किया गया कि '' मौजा बडाच की साबिक आराजी नम्बर 645/1 में से 3 बीधा 10 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता को आवंटित हुई थी। जिसका नामान्तरकरण संख्या 239 दिनांक 26.112.1985 निर्णित हुआ था। सेटलमेण्ट के पश्चात साबिक आराजी नम्बर 645/1 के हाल आराजी नम्बर 1557 रकबा 0.35 है, 1563/1828 रकबा 0.20 है0, आराजी नम्बर 1569/1829 रकबा 0.30 है बने है। किन्तु उक्त भूमि वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड होकर कब्जा व स्वामित्व सरकार है। वादी का रेकार्ड अनुसार कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। ''वादग्रस्त आराजी का आवंटी खीमसिंह आत्मज दुर्गा सिंह रावत को दिनांक 10.4.1985 को किया गया था। आवंटन के दिन ही आवंटी की मृत्यु जाना भी प्राथमिक रूप से प्रकट हुआ है, जिस पर भी यदि विश्वास किया जाये तो निष्कर्षित होता है कि ऐसी स्थिति में आवंटी को न तो आवटित भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया एवं न ही आवंटी का कब्जाकाश्त ही रहा है। अपोलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का कब्जा सुपुर्द किये जाने संबंधी दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं न ही आवंटी खीम सिंह की मृत्यु के उपरान्त भी अपीलार्थीगण का कभी रहा है। अपीलार्थीगण ने आवंटन शर्तो की पालना में काश्त की हो अथवा कब्जा कभी भी रहा हो ऐसा कोई दस्तावेज अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। भू प्रबन्ध के समय भी वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का कब्जा, अथवा काश्त नहीं होने से वादग्रस्त आराजी के नवीन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नम्बर कायम किये गये एवं राजस्व रेकार्ड में बिलानाम सरकार दर्ज किया गया । वर्तमान राजस्व रेकार्ड में भी वादग्रस्त आराजी बिलानाम सरकार दर्ज है। पटवारी हल्का ने भी अपने बयान में वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कभी भ अपीलार्थीगण का नहीं होने का कथन किया है। अपीलार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है । अपीलार्थीगण ने वाद पत्र में अंकित कथनों को पर्याप्त साक्ष्य से साबित नहीं कराया है । न्यायालय हाजा में भी अपीलार्थीगण ने अपने कथनों की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अधिनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

17. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से निरस्त किया जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.7.2015 को यथावत रखा जाता है।

18. निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

21/X/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री हेमन्त स्वरूप माथुर , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/113/2016

उनवान

1. मेघसिंह पिता खिमसिंह रावत निवासी बडाछ, पटवार हल्का रतनपुरा
2. हजारी सिंह पिता खिमसिंह रावत निवासी बडाछ, पटवार हल्का रतनपुरा तहसील बदनोर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बदनोर, जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, बदनोर के प्रकरण संख्या 196/2015 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9.7..2015

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/113/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, बदनोर** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः

यह अपील तारीख 21.10.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री मुनीर गनी प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय पेरोकार की उपस्थिति मे दिनांक 21.10.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से निरस्त किया जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 9.7.2015 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 21.10.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डि्क्री जारी की जाती है।

(हेमन्त स्वरूप माथुर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट
1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट
1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस